सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का

सप्तम् सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का सप्तम् सत्र गुरुवार, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् ....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। सत्र का सत्रावसान दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
सप्तम् सत्र	2	सितम्बर माह – 1 एवं 2

सदन में अव्यवस्था और बैठक का स्थगन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को सदन की बैठक आरम्भ होते ही श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने हिंगोनिया गौशाला में गायों की कथित मौतों, कानून एवं व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा भारी–शोरगुल एवं नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था से व्यवधान हो गया।

2. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को सदन की बैठक आरम्भ होते ही श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने हिंगोनिया गौशाला में गायों की कथित मौतों, कानून एवं व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर भारी–शोरगुल एवं नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हो गया। तत्पश्चात् 11.20 बजे तथा बाद में 12.42 बजे सदन की बैठक एक–एक घण्टे के लिए स्थगित की गई। बैठक पुनः सम्वेत होने पर भी सदन की वैल में नारेबाजी एवं व्यवधान जारी रहने पर 14.09 बजे बैठक 15 मिनिट के लिए स्थगित की गई।

सदस्यों का निष्कासन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को प्रश्नकाल के दौरान सदन की वैल में नारेबाजी तथा व्यवधान के दौरान प्रतिपक्ष के कतिपय सदस्य आसन के समीप चले गये तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा बार–बार कहने पर भी नीचे नहीं जाने पर माननीय अध्यक्ष ने मार्शल को प्रतिपक्ष के कतिपय सदस्यों को सदन से बाहर निकालने के निर्देश दिये।

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 104 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 1903 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 797 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 25 तारांकित प्रश्न, प्रश्न–सूची में सूचीबद्ध किये गये। 58 माननीय

सदस्यों ने अधिकतम 10–10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 10 सदस्यों ने 9–9, 4 सदस्यों ने 8–8 तथा शेष 32 सदस्यों ने 7–7 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। 9 महिला सदस्यों ने अधिकतम 10–10 प्रश्न प्रस्तुत किये। 25 सदस्यों के 1–1 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिनमें तीन महिला सदस्यों के एक–एक प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 1106 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 26 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। 26 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 20–20 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 2 सदस्यों ने 19–19, 3 सदस्यों ने 18–18 तथा शेष 57 सदस्यों ने 17 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। 5 महिला सदस्यों ने अधिकतम 20–20 प्रश्न प्रस्तुत किये। 26 सदस्यों का एक–एक प्रश्न सूचीबद्ध हुआ जिसमें तीन महिला सदस्य भी थी।

विभागानुसार विश्लेषण करने पर प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 86 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 69 प्रश्न शिक्षा विभाग, 66 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग तथा 57 प्रश्न जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 3–3 प्रश्न शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 102 प्रश्न शिक्षा विभाग, 80 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 78 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा 64 प्रश्न पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 4 प्रश्न जल संसाधन विभाग तथा 3–3 प्रश्न शिक्षा विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित थे।

दलवार विश्लेषण करने पर सप्तम् सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 588 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 107 में से 4, निर्दलीय सदस्यों के 60 में से 2, एनयूजेडपी के 20 में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। बहुजन समाज पार्टी के 20 तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के 2 में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 844 प्रश्नों में से 19 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 125 में से 3, निर्दलीय सदस्यों के 79 में से 2, एनयूजेडपी के 40 में से 1 तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्यों के 11 में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। बहुजन समाज पार्टी के 7 में से कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 115 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 157 अतारांकित प्रश्नों में से भी 3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 682 तारांकित प्रश्नों में से 22 तथा 949 अतारांकित प्रश्नों में से 23 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 73 तारांकित प्रश्नों में से 1 तथा 82 अतारांकित प्रश्नों में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ जबकि एनयूजेडपी के 20 तारांकित तथा 40 अतारांकित प्रश्नों में से एक–एक प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। तारांकित प्रश्नों में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 10 में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ जबकि अतारांकित 9 प्रश्नों में से

कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसी प्रकार निर्दलीय सदस्यों के 10 तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के 2 तारांकित प्रश्नों में कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ। अतारांकित प्रश्नों में नेशनल पीपुल्स पार्टी के 11 में से एक प्रश्न सूचीबद्ध हुआ जबकि निर्दलीय सदस्याओं के 15 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को प्रश्नकाल हुआ। व्यवधान के कारण प्रश्नकाल के दौरान 11.20 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस प्रकार सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से एक प्रश्न पर सदन में चर्चा हुई।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ग्राम रोजड़ी के निवासियों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका सदन में उपस्थापित की।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

सप्तम् सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 38, राजकीय उपक्रम समिति के 9, याचिका समिति, कार्य सलाहकार समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी समिति, अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी समिति तथा प्राक्कलन समिति 'क' एवं 'ख' का एक–एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

शासकीय संकल्प

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन हेतु निम्न संकल्प प्रस्तुत किया –

'यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ बाईसवां संसोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है।'

"That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clauses (b) and (c) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundered and Twenty Second Amendment) Bill, 2014, as passed by the both of the Houses of Parliament"

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान की मांगों 2016–17 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन एवं मतदान

सप्तम् सत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास

एवं आवासन मंत्री ने वर्ष 2016–17 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

(ख) अतिरेक मांगों (वर्ष 2012–13 एवं 2013–14) का उपस्थापन एवं पारण

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अतिरेक मांगों का उपस्थापन किया (वर्ष 2012–13 की अतिरेक मांगों में दत्तमत राशि नहीं होने के कारण मांगें मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई) वर्ष 2013–14 की अतिरेक मांगें दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित की गई।

विधायी कार्य

(क) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है –

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
14/2016	राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2016	2.9.2016	2.9.2016	2.9.2016
15/2016	राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2016	2.9.2016	2.9.2016	2.9.2016
16/2016	राजस्थान विनियोग (संख्या–5) विधेयक, 2016	2.9.2016	2.9.2016	2.9.2016

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य सातवें सत्र में सदन में दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को निम्नांकित दिवंगत व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया –

1.	डॉ. ए.आर. किदवई	पूर्व राज्यपाल, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान	24.08.2016
2.	श्री कलिखो पुल	पूर्व मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	09.08.2016
3.	श्री हरलाल सिंह खर्रा	पूर्व सदस्य, 4, 6, 8, 9 व 12वीं वि.स.	21.05.2016
4.	श्री हरिसिंह	पूर्व सदस्य, 7, 10 व 11वीं वि.स.	14.08.2016
5.	श्री कानसिंह राठौड़	पूर्व सदस्य, 6वीं वि.स.	05.08.2016

✧✧✧